BSES

दक्षिणी दिल्ली के पॉश सर्वप्रिय विहार में बिजली कंपनी के नाम पर ठगी

जनरल मैनेजर से गिरोह ने ठगे 70 हजार रूपये

नई दिल्लीः 4 अक्टूबर, 2010। बीएसईएस ने, दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाकों में सक्रिय ठगों के एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बिजली कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह के सरगना को सलाखों के पीछे पहुंचाने में बीएसईएस कामयाब हो गई है। इस गिरोह ने सर्वप्रिय विहार में एक बिजली उपभोक्ता से 70 हजार रूपये ठग लिए थे। यही नहीं, गिरोह उस उपभोक्ता से और 30 हजार रूपये की मांग कर कर रहा था। उल्लेखनीय है कि यह उपभोक्ता एक बड़ी निजी कंपनी में जनरल मैनेजर पर पर कार्यरत है।

दरअसल, ठगों का एक गिरोह सर्वप्रिय विहार में रहने वाले, एक निजी कंपनी के जनरल मैनेजर के घर पहुंचा और खुद को बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम के अधिकारी बताते हुए उपभोक्ता का मीटर चेक करने लगा। मीटर को देखने के बाद, गिरोह के सदस्यों ने उपभोक्ता से कहा कि उसका मीटर टैंपर्ड है और उस पर 10 लाख रूपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद, गिरोह का सरगना उपभोक्ता के घर के भीतर गया और कहा कि यदि उपभोक्ता उसे 1 लाख रूपये दे दे, तो उस पर बिजली चोरी का मामला नहीं चलाया जाएगा। यह सुनते ही उपभोक्ता इस गिरोह के सदस्यों के झांसे में आ गया और, तत्काल इंतजाम कर गिरोह के सदस्यों को 70 हजार रूपये दे दिए। गिरोह के सदस्यों ने उपभोक्ता से कहा कि वह बाकी के 30 हजार रूपये लेने बाद में आएंगे। साथ ही उपभोक्ता को यह चेतावनी भी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तो बिजली चोरी के मामले में उसे पकड़ लिया जाएगा।

कुछ दिनों तक तो उपभोक्ता इस बारे में चुप रहा, लेकिन बाद में उसे यह शक हुआ कि हो सकता है कि बिजली कंपनी के नाम पर किसी ने उससे ठगी की हो। इसके बाद उपभोक्ता बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम के प्रमुख से मिलने पहुंच गए। जब मामले की तहकीकात की गई, तो पता चला कि उपभोक्ता के खिलाफ बिजली चोरी का कोई मामला ही नहीं है। बात तुरंत समझ में आ गई कि यह ठगों के किसी गिरोह का काम है। और उसके बाद, ठगों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया।

इसी बीच, गिरोह के एक सरगना प्रीतम ने उपभोक्ता को फोन किया और कहा कि वह बाकी के 30 हजार रूपये लेने आ रहा है। जैसे ही वह आया, उपभोक्ता ने उसे अपने घर के अंदर बुला लिया और उसे 10 हजार रूपये दिये। जैसे ही उसने रूपये स्वीकार किए, पहले से ही घर में छिपी बैठी बीआरपीएल विजिलेंस टीम ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पता चला कि उसका असली नाम विकास चंदेल है और वह डीडीए फ्लैट, कालकाजी का निवासी है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उल्लेखनीय है कि पिछले पांच साल के भीतर बीएसईएस के नाम पर ठगी करने वाले करीब 80 (बीआरपीएल– 41, बीवाईपीएल– 36) लोग पकड़े गए हैं। बीएसईएस ने उपभोक्ताओं व पुलिस की मदद से इन ठगों का पकड़ा है।

बीआरपीएल सीईओ श्री गोपाल सक्सेना ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, जो उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं और साथ ही, कंपनी की छवि भी खराब कर रहे हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि मामला चाहे कुछ भी हो, उपभोक्ता ऐसे तत्वों के दबाव या झांसे में न आएं और उनके झूठे आश्वासनों में न फंसें। किसी भी शर्त पर अपने घर पर नकद भुगतान न करें। याद रखें, बीएसईएस का कोई भी कर्मचारी किसी उपभोक्ता के घर से नकद पैसे इकट्ठा करने के लिए अधिकृत नहीं है। बिजली चोरी आदि के लिए किए गए जुर्माने का भुगतान सिर्फ बीएसईएस के अधिकृत ऑफिसों में ही हो सकता है, उपभोक्ता के घर पर नहीं।

उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी गई है कि जब भी कोई व्यक्ति उनके यहां बीएसईएस प्रतिनिधि के रूप में पहुंचता है, तो सबसे पहले उनका पहचान पत्र देखें। सही पहचान पत्र में ये तथ्य होने चाहिएः 1. बीएसईएस लोगो, 2. बीएसईएस होलोग्राम, 3. जारी होने की तारीख, 4. वैधता (वैलिडिटी), 5. कर्मचारी की तस्वीर, 6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, 7. कर्मचारी के हस्ताक्षर, 8. कर्मचारी संख्या/ पहचान पत्र संख्या, 9. ठेकेदार का नाम/ लोगो/ पता, 10. लेमिनेशन

इसके बाद भी यदि उपभोक्ताओं को कुछ शक हो, वे तुरंत निकटतम बीएसईएस ऑफिस को इस बारे में बताएं, या फिर कॉल सेंटर नंबर 39999707– बीआरपीएल व 39999808 – बीवाईपीएल पर फोन करें। या, 100 नंबर पर पुलिस को बताएं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999415/ 9350130304